

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 132/2024(रा.अ.) (GCMS 2024/132)	दायर दिनांक 07.10.2024	निर्णय दिनांक 27.02.2026
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

दीपक पिता उदयलाल गोयल जाति गोयल उम्र वयस्क
निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये उप-तहसीलदार, भादसौडा तहसील
भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :- ललित शर्मा
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)

अपीलार्थी
प्रत्यर्थी

**प्रथम अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा प्रकरण
संख्या 726/2022 फैसल तारीख 17.03.2023 अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध प्रत्यर्थीगण के उप-तहसीलदार भादसौडा तहसील भदेसर प्रकरण संख्या 726/2022 अनवानी राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मण्डफिया बनाम दीपक अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 17.03.2023 से असंतुष्ट होकर हस्तगत अपील बेरुन मियाद पेश की गई है।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर उप-तहसीलदार भादसौडा के पत्रांक/राजस्व/2024/433 दिनांक 10.12.2024 से से उनकी मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 726/2022 निर्णय दिनांक 17.03.2023 अनवानी राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मण्डफिया बनाम दीपक अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना-पत्र पर



कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर निर्णय के बारे में बताया, जिससे जानकारी हुई और दिनांक 29.07.2024 को न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त होते ही बिना देरी के यह अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुई उक्त देरी सद्भावी है और जानबूझ कर देर नहीं की गई है जिससे अपील को मयाद में शुमार किया जावे। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी का धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश करना आवश्यक हुआ है। इस बाबत् अपीलार्थी का सच्चा शपथ-पत्र पेश किया गया है, अतः अपील प्रस्तुत में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन कराया एवं बताया कि अपीलार्थी का पुत्र स्वयं दिनांक 16.12.2022 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हम किता है, इस प्रकार अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 17.03.2023 की जानकारी अपीलार्थी को रही है एवं जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः अपील अपीलार्थी को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज फरमाई जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना-पत्र का चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ-साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः मियाद प्रार्थना-पत्र के निर्णय को रिजर्व करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम मण्डफिया तहसील भदेसर की नवीन आराजी संख्या 788 रकबा 0.85 हैक्टेयर में 1000 वर्गफीट पर नाजायज कब्जा (पक्का मकान) होना बताकर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के



तहत अपीलार्थी को बिना सुने दिनांक 17.03.2023 को प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर बेदखली एवं पेनल्टी का निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय न्याय नियमों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किये। जिस पर अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ और प्रश्नगत भूमि के संबंध में उक्त प्लॉट का पट्टा पंचायत द्वारा जारी किया और विक्रयपत्र की प्रति पेश की और कार्यवाही निरस्त कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने 16.12.2022 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे की विधि सम्बन्धित जांच हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भदोसर को जारी कर जांच रिपोर्ट तलब की उसके बाद दिनांक 25.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023, 17.03.2023 की पेशीयां नियत की गईं उक्त दिनांकों को विकास अधिकारी से तलब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और रिपोर्ट पट्टावली में भी वादग्रस्त स्थल पर पक्के मकान पट्टेशुदा होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में दिनांक 17.03.2023 को अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित करते हुए अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमण करने के जुर्म में पेनल्टी, लगान एक रुपये का 50 गुणा 50 रुपये शास्ति, आरोपित कर निर्णय करने में भारी भूल की है। अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि मौजा मण्डफिया की आराजी संख्या 788 रकबा 0.85 हैक्टेयर किस्म भूमि चरागाह दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में से अपीलार्थी द्वारा 1000 वर्गफीट पर नायायज कब्जा (पक्का मकान) बनाकर अनाधिकृत कब्जा होने से अपीलार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई, किस्म भूमि चरागाह होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों उद्यभूत नहीं होते हैं। विवादित आराजीयात किस्म भूमि चरागाह अभिलिखित है एवं चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

अपीलार्थी का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो अपील में जो आवंटन/नियमन के तथ्य उठाये गये हैं, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आराजीयात जैरबहस वर्तमान में चरागाह दर्ज रेकार्ड है, एवं अधीनस्थ उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया



गया है। वांछित भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी होने से अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का मकान या अन्य कोई निर्माण करने मात्र से ही कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो जाता है। अतिक्रमित भूमि चरागाह के नाम से दर्ज रिकोर्ड होकर प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन/आवंटन योग्य नहीं है। अपीलार्थी उल-फिजूल तथ्य पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए राजकीय सम्पत्ति को हड़पना चाहता है। अपीलार्थी का वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज चरागाह भूमि में अवैध अतिक्रमण होकर प्रकरणाधीन भूमि चरागाह किस्म की राजकीय महत्व की एवं बेश-कीमती भूमि है। अतः अपीलार्थी द्वारा पेश अपील निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अतः उप-तहसीलदार भादसौडा के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी के अंकल श्यामलाल अग्रवाल को पंचायत के द्वारा पट्टा जारी किया गया जिसके आधार पर मकान का निर्माण कराया तथा बिजली पानी का कनेक्शन लिया पूरे मौहल्ले में पक्की सीसी सडक नल बिजली रोड लाईट तथा नालियों की सभी सुविधाएं पंचायत द्वारा दी गई और जब पंचायत द्वारा उसके क्षेत्र की आराजीयात पर आबादी का पट्टा दिया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने में भारी भूल की है।

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में मकान के संबंध में पट्टा पंचायत का अनापत्ति पत्र नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि की प्रतियां पेश कि फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विचार किये बिना निर्णय देने में भारी भूल की है। वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर पंचायत से पट्टे प्राप्त कर अपीलार्थी ने काफी खर्चा कर पक्के मकान का निर्माण कराया है एवं नल, बिजली के कनेक्शन कराए हैं और वर्षों से परिवार सहित निवास कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। पत्रावली तो विकास अधिकारी की रिपोर्ट के लिए नियत थी। रिपोर्ट अप्राप्त होते हुए भी जल्दबाजी में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित करने में भारी भूल की है।

प्रकरण में अपीलार्थी को जवाब व बचाव के लिए अवसर नहीं दिया गया है, साथ ही पटवारी के बयान भी नहीं हुए एवं तथा अपीलार्थी को कार्यवाही से बचने के लिए न्याय के सिद्धांतों के अनुसार न तो साक्ष्य न ही सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। भूमि के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अन्त प्रार्थना की गई कि अपील प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा के द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.03.2023 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश निरस्त



फरमाया जावें। इसी ईशुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि - “अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2023 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?”

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91. Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार/उप-तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर उप-तहसीलदार भादसौडा ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधिक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण,



या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि आराजीयात जैरबहस में पक्का निर्माण कर मकान बनाया जाना अपील मेमों में अंकित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मण्डफिया द्वारा पट्टे का आवंटन/नियमन के तथ्य को उठाया गया है कि इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के तहत ही ग्राम पंचायत राजस्व अभिलेख में दर्ज आबादी भूमि के संबंध में नियमानुसार पट्टा जारी की सकती है, जबकि हस्तगत प्रकरण में आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रिकार्ड है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मण्डफिया द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर मौजा मण्डफिया तहसील भदेसर की आराजी संख्या 788 रकबा 0.85 हैक्टेयर में ग्राम पंचायत मण्डफिया द्वारा जारी पट्टों के संबंध में विस्तृत जांच कराई जाकर इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मौजा मण्डफिया तहसील भदेसर की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्ज आराजी संख्या 788 रकबा 0.85 हैक्टेयर के संबंध विस्तृत जांच कर ग्राम पंचायत मण्डफिया एवं संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

आराजीयात जैरबहस जो कि अपीलार्थी की वर्तमान में अतिक्रमित भूमि है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के संबंध में किसी भी प्रकार से अभिवचन/विश्लेषण किया जाना हस्तगत प्रकरण की परिधि से भिन्न विषय है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन/विश्लेषण हस्तगत प्रथम अपील में किया जाना समीचीन नहीं होना। हस्तगत प्रकरण का निर्णय का आधार बिन्दु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह भूमि दर्ज होना ही है।

अपीलार्थी द्वारा पूर्व वर्षों में अतिक्रमण का तथ्य उठाया गया है। अतिक्रमित भूमि पर लागत लगाने का प्रश्न है, यहाँ उल्लेखनीय है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में लागत लगाने या भूमि सुधार करने या कब्जा पुराना होने से कोई भी अतिक्रमी भूमि का मालिक या भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील



संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से निर्देश प्रदान किये गये हैं कि अवैधताओं को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के साझा हितों को केवल इसलिए प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि अनधिकृत कब्जा कई वर्षों से जारी है। यहाँ प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक होन के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी की होने से किसी भी प्रकार से निजी उपयोग-उपभोग हेतु प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया लम्बे समय से कब्जे का तथ्य पूर्णतः सारहीन हो जाता है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.आई. बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम राधेश्याम साहू, 1999(6) एससीसी 464 में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विध्वंस के बाद एक पार्क के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम उड़ीसा राज्य, 2004 (8) एससीसी 733 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां कानून गैर-स्वीकृत निर्माणों की प्रशमन (Compounding) करने की अनुमति देता है, वहां भी ऐसा प्रशमन (Compounding) केवल अपवाद के रूप में होना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक: प.10(3)राज-6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 से निर्देश जारी किये गये हैं कि चरागाह आरण जोहड श्मशान कब्रिस्तान आदि शामिलता भूमि पर हुये अतिक्रमणों से मुक्त कराने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चरागाह भूमि को उस श्रेणी में रखा गया है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि आवंटन के संबंध में बनाये गये नियमों में भी उस श्रेणी की भूमियों को आवंटन से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(17)राज-6/2017/09 दिनांक 06.01.2021 के केवल मात्र आत्यंतिक आवश्यकताओं के लिये वर्णित प्रयोजनार्थ हेतु चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने के प्रावधान प्रावधित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/नियमों एवं आदेशों में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना में अतिक्रमित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा कर मूल स्वरूप में लाया जाना ही एकमात्र विकल्प है।

आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार/ उप-तहसीलदार में निहित है एवं बाबत हल्का पटवारी की भूमिका राज्य सरकार सगज प्रहरी में अपेक्षित है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का मण्डफिया द्वारा चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण के



संबंध में की गई कार्यवाही पूरी से लापरवाही पूर्वक प्रतीत है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण किये जाने के उपरांत अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो कि उनके पदीय दायित्वों की घोर अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक है, अतः इस संबंध में प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मौजा मण्डफिया तहसील भदोसर की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्ज आराजी संख्या 788 रकबा 0.85 हैक्टेयर में हुये पक्के निर्माण के संबंध विस्तृत जांच कर इस अवधि में कार्यरत/पदस्थापित हल्का पटवारी/पटवारियान के विरुद्ध नियमानुसार/अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा अपीलार्थी को विधिक प्रावधानों के अधीन अपीलार्थी को नोटिस कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा अपीलार्थी के उपस्थित होने पर समस्त तथ्यों को परीक्षण करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2023 पारित किया जाना जाहिर होता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का प्रकरण की समुचित कर अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया।

चरागाह भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त हैं ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2023 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2023 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिससे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2023 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना-पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। अपीलार्थी अपने मियाद प्रार्थना-पत्र में निर्णय दिनांक 17.03.2023 की जानकारी दिनांक 29.07.2024 को होना अंकित है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 22.08.2024 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि जानकारी दिनांक 29.07.2024 से अन्दर अवधि है। इसके साथ ही प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में स्वयं अवगत कराया गया है कि प्रकरण 16.12.2022 से ही चल रहा है, ऐसी स्थिति में पक्षकार को अपने अधिकारों के संबंध में सजग रहना अपेक्षित है, एवं



अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं होना संदेह की स्थिति को उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे जिससे अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर भी खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 132/2024(रा.अ.) अनवानी दीपक बनाम सरकार अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण(दोनों) पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ उप-तहसीलदार भादसौडा द्वारा प्रकरण संख्या 726/2022 निर्णय दिनांक 17.03.2023 अनवानी सरकार बनाम दीपक को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.02.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

